भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3883

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में लाख उद्योग

3883 श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में भारी मात्रा में लाख उत्पादन, जनजातीय आबादी और इसके मूल्य-संवर्धन तथा निर्यात को देखते हुए वहाँ लाख उद्योग के विकास की संभावना का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास लाख मूल्य शृंखला को मजबूत करने के लिए पुरुलिया में लाख-प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन केंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला, सामान्य सुविधा केंद्र या निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान जिले के लाख-उत्पादकों, स्व-सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और उद्यमियों हेतु कोई वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी सहायता, कौशल विकास, ब्रांडिंग और बाजार संपर्क पहले की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने जिला निर्यात केंद्र पहल या किसी अन्य केंद्रीय योजना के अंतर्गत पुरुलिया से लाख और लाख- आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई रोडमैप तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा पुरुलिया को लाख उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत ने वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 21,272 टन लाख का उत्पादन किया और इसी अवधि के दौरान लगभग 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का लाख और इसके मूल्य-वर्धित उत्पादों का निर्यात किया। (विगत तीन वर्षों का उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है)।

शेलैक और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल), जो कि वाणिज्य विभाग के अंतर्गत लाख और उसके मूल्यवर्धित उत्पाद सहित गैर-लकड़ी वन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने

वाला नोडल निर्यात संवर्धन परिषद है, ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में लाख उद्योग के विकास की संभावनाओं का आकलन किया है। आकलन के अनुसार, पुरुलिया देश के महत्वपूर्ण लाख उत्पादक जिलों में से एक है और जिले की एक बड़ी जनजातीय आबादी लाख की खेती में कार्यरत है। जिला उद्योग केंद्र, पुरुलिया के रिकॉर्ड के अनुसार, जिले के 20 ब्लॉकों में से 12 ब्लॉकों में लगभग 700 हेक्टेयर में लाख की खेती की जाती है।

(ख) से (ङ) जिले में लाख उत्पादकों के कल्याण के लिए की गई प्रमुख पहलों में जनजातीय कार्य मंत्रालय (टीआरआईएफईडी के माध्यम से) के तहत पुरुलिया जिले के बलरामपुर ब्लॉक में लाख आधारित वन धन विकास केंद्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, जिसका उद्देश्य लाख क्षेत्र में मूल्य-संवर्धन और आजीविका सृजन को बढ़ावा देना है, और 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत पुरुलिया जिले में 23 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, लाख क्षेत्र के विकास और लाख तथा इसके मूल्य-वर्धित उत्पादों के निर्यात, जिनमें पुरुलिया जिले से होने वाले निर्यात भी शामिल हैं, को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं।

(i) वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) का उद्देश्य लक्षित वित्तीय और व्यापार सुगमता कार्यकलापों के माध्यम से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होता है: (1) निर्यात प्रोत्साहन, जो ब्याज सब्सिडी, निर्यात फैक्टरिंग, ऋण गारंटी और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण संवर्धन सहायता जैसे साधनों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है; और (2) निर्यात दिशा, जो गैर-वित्तीय सहायकों जैसे निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए सहायता, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति, और व्यापार आसूचना एवं क्षमता निर्माण पहल पर केंद्रित है, जो बाजार तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं। मिशन के तहत लाभ सभी क्षेत्रों के निर्यातकों को उपलब्ध हैं, जिनमें पुरुलिया जिले के लाख और लाख आधारित उत्पादों के निर्यातक भी शामिल हैं।

(ii) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य विभाग की जिला निर्यात केंद्र (डीईएच) पहल के तहत जिलों की निर्यात क्षमता की पहचान की जाती है और जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) और जिला निर्यात कार्य योजनाओं (डीईएपी) के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया जाता है। पुरुलिया जिले की डीईएच पहल के तहत पहचान की गई है और डीईएपी को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और जिला-स्तरीय हितधारकों के समन्वय से तैयार किया जाता है और ये एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के अनुरूप हैं।

(iii) कई निर्यात संवर्धन पहलें की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) और रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें (आरबीएसएम) आयोजित करना, साथ ही निर्यातकों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेना शामिल है। विगत तीन वर्षों में आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों में भारत न्यूट्रावर्स एक्सपो (नई दिल्ली), विटाफूड्स यूरोप (जिनेवा/बार्सिलोना), फूड इंग्रीडिएंट्स यूरोप (फ्रैंकफर्ट) और सप्लाईसाइड वेस्ट (लास वेगास, अमेरिका) शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य लाख और इसके मूल्य-वर्धित उत्पादों सहित गैर-लकड़ी वन उत्पादों के भारतीय निर्यातकों को वैश्विक क्रेताओं से जोड़ना है।

(iv) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने देश भर में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल के चार केंद्र, नामतः, केंद्रीय उपकरण कक्ष एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी), कोलकाता; एमएसएमई परीक्षण केंद्र, कोलकाता; शाखा एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, सिलीगुड़ी; और एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, कोलकाता शामिल हैं। ये केंद्र राज्य भर के एमएसएमई को मार्गदर्शन, सहयोग और निर्यात संबंधी सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग ले सकें।

<u>अनुलग्नक</u>

अनुलग्नक: भारत में लाख का उत्पादन और लाख तथा लाख-आधारित उत्पादों का निर्यात (2023-24 से 2025-26)

वर्ष	लाख उत्पादन (टन में)	निर्यात मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
2023-24	20,332	148.98
2024-25	22,149	160.55
2025-26	21,272	173.87

स्रोत: डीजीसीआईएस और शेफेक्सिल
